SHRI M. N. REDDY: I introduce the Bill.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL*

(Amendment of Eighth Schedule)

श्री महाराज सिंह भारती (मेरठ) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की मुझे अनुमति दी जाए।"

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India".

The motion was adopted.

श्री महाराज सिंह भारती : मैं विधेयक को पेश करता हूं।

FOREIGN DONATIONS AND AID REGULATION BILL*

श्री ओम प्रकाश त्यागी (मुरादाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विदेशी दान तथा सहायता पर नियंत्रण तथा उसके विनियमन के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पेश करने की मुझे अनुमति दी जाए।"

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the control and regulation of foreign donations and aid".

The motion was adopted.

श्री ओम प्रकाश त्यागी : मैं विधेयक को पेश करता हूं।

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL*

(Amendment of First Schedule)

श्री जार्ज फरनेंडीज (बम्बई दक्षिण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की मुझे अनुमति दी जाए।"

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India".

The motion was adopted.

श्री जार्ज फरनेंडीज : मैं विधेयक को पेश करता हूं।

श्री शिवचन्द्र झा (मधुबनी) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। नियम यह है कि गैर-सरकारी विधेयक अगर पेश करना हो तो उसके लिए एक महीने का नोटिस दिया जाए। मैंने पिछले महीने की 21–22 तारीख को एक विधेयक पेश करने के लिए अनुमति मांगी थी। मैं संविधान मे आगे संशोधन करने वाला विधेयक पेश करना चाहता था। मैं फिलिबस्टर शब्द जुड़वाना चाहता था। उस विधेयक के बारे में मेरे पास लिखित रूप में कुछ नहीं आया है। मैंने दफ्तर से मालूम

*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, section 2, dated 22-8-1969.

[श्री शिव चन्द्र झा]

करने की कोशिश की है। स्पीकर साहब ने उसको शायद इस वास्ते नहीं आने दिया है क्योंकि उसके स्टेटमेंट आफ आबजैक्टस एंड रीजंज में आबस्ट्रक्ट शब्द आता है। यह सुनकर मुझे थोड़ी सी हैरानी हुई है। आप जानते ही हैं जेलर ने नेहरूजी के पास डिकलाइन आफ दी वेस्ट पुस्तक नहीं जाने दी क्योंकि उसमें डिक्लाइन शब्द था। इसमें चीफ चूंकि आबस्टैक्ट शब्द था, इस वास्ते . . .

MR. CHAIRMAN: There is no use proceeding with this argument because I cannot do anything in the matter. The notice was disallowed by the Speaker and he will have to take it up with the Speaker. It cannot be decided on a point of order.

श्री शिव चन्द्र झा: मैं चाहता हूं कि आप नियम 65 देख लें और स्पीकर साहब को निवेदन कर दें कि वह इस पर फिर से गौर करें और मुझे इस विधेयक को पेश करने की अनुमति दें।

MR. CHAIRMAN: Of course, it will be conveyed to the Speaker because it is already on record.

15.38 hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL—*contd.*

(Amendment of articles 4, 80, etc.) by Shri Shiva Chandra Jha

MR. CHAIRMAN: Further consideration of the following motion moved by Shri Shiva Chandra Jha on the 8th August, 1969:

"That the Bill further to amend the Constitution of India be taken into consideration".

Total time allotted is one hour of which he has already taken 25 minutes.

श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी): इस पर आप समय बढ़ाइये। तेलंगाना की बात को आप ने देख लिया है। इसमें भी सैंटर स्टेट रिलेशंज की बात है। इसके लिए आप समय बढ़ाइये।

इस विधेयक में मैंने कहा है कि राज्य सभा में पापुलेशन के आधार पर रिप्रिजेंटेशन का जो अभी तरीका है उसको न रख कर हर राज्य और यूनियन टैरिटरी से आप चार चार रिप्रिजेंटेटिव लें। ऐसा अगर आपने किया तो बराबरी की भावना पैदा होगी और राज्य सभा की बनावट में जो त्रुटियां हैं, वे दूर होंगी। यह बात जब कांस्टीट्यूएंट असेम्बली में इस पर बहस हो रही थी तो प्रोफेसर के० टी० शाह और लोक नाथ मिश्र ने काफी इसकी मुखालिफत की और बराबरी के आधार पर राज्य सभा में नुमाइन्दगी करने की मांग की। प्रोफेसर के० टी० शाह का कहना था कि 4 नुमाइन्दे हर राज्य से लिए जायें और लोक नाथ मिश्र का था कि 3 लिए जायें। लेकिन खैर, आखिर में यूनियन कान्स्टीट्यूशन कमेटी की जो रिपोर्ट थी वह टी० टी० कृष्णमाचारी ने पेश की और उन्होंने कहा कि राज्यों का मामला अभी अस्थिर है कि यह कैसा रूप लेगा। राज्यों को नये रूप में बनाना है। अभी इसका फैसला नहीं हो पाया है, इसीलिए राज्यों की नुमाइन्दगी किस तरह से राज्य सभा में हो इस की तफसील में हम नहीं गए। यूनियन कांस्टीट्यूशन कमेटी की रिपोर्ट से मैं पढ़ कर आप को सुनाता हूं:

Volume III, page 408:

"The Committee did not go into the details of the revised scheme of allocation of seats in the Council of States prepared by office, as owing to mergers of various types the position of the Indian States is still unsettled. They were of the view that it was advisable to postpone considera-